The Uttar Pradesh Krishi Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 5 of 1972

Keyword(s):
Agricultural, Universities, College, Student, Teacher, Recognised Institution

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

135703

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1972)

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 4 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 जनवरी, 1972 की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में निम्नलिखित प्रयोजनों के हेतु आगे संशोधन करने के लिए, — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1958

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1958 की धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्— — धारा 10 का संशोधन

"(ट) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, और"।

4—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में प्रयुक्त शब्दों 'दो पदावधियों' के स्थान पर शब्द 'तीन पदावधियों' रख दिये जायं। — धारा 11 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्— — धारा 18 का संशोधन

"(2) कृषि प्रयोग केन्द्र का एक संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा।"

6—मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्— — धारा 19 का संशोधन

"(2) एक प्रसार संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा।"

7—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1971, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17, 1971 का निरसन

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

Price 05 Paise.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—257 जनरल (लेग)—1972—1809+50 (मै०)।